

प्रेषक

उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी
राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादी क्रमांक 3/3-2008 सी-IV (4)
दिनांक, पंचकूला 25.11.2008

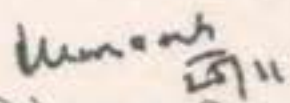
विषय: अराजकीय महाविद्यालयों की प्रबन्धक समितियों के चुनाव/मीटिंग में विभागीय नोमनी भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

अराजकीय महाविद्यालयों की प्रबन्धक समितियों के चुनाव/गवर्निंग बाडी की मीटिंग में निदेशालय द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को विभागीय प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रबन्धक समितियों के चुनाव निष्पक्ष एवं विभाग की हिदायतों अनुसार सम्पन्न हुए हैं। गवर्निंग बाडी के चुनाव/मीटिंग में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभागीय प्रतिनिधि चुनाव/मीटिंग में निम्नलिखित बिन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखें:-

1. गवर्निंग बाडी के चुनाव/मीटिंग निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से सम्पन्न हो।
2. चुनाव/मीटिंग के समय यदि कोई कार्यवाही नियमों/हिदायतों के विरुद्ध प्रतीत हो, तो उसकी सूचना/रिपोर्ट तुरन्त उच्चतर शिक्षा आयुक्त महोदय को भेजें।
3. चुनाव/मीटिंग के बाद proceeding अपनी टिप्पणी सहित निदेशालय को भेजें।
4. चुनाव/मीटिंग के दौरान यदि उन्हें ऐसा लगे कि नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो रही है तो proceeding में अपना dissenting note अवश्य दे।
5. यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
6. गवर्निंग बाडी की मीटिंग में यदि किसी प्राचार्य/प्राध्यापक के निलम्ब/चार्जशीट/टर्मीनेशन के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव रखा जाता है तो तुरन्त HEC महोदया को सूचित करते हुए स्थिति से अवगत करवायें एवं निर्देश लें।

कृपया उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए।


सहायक निदेशक महाविद्यालय-IV
कृते: उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
पंचकूला